


Government of Jharkhand
Department of Agriculture, Animal Husbandry & Fisheries
Co-operative
(Directorate of Dairy Development)
Jharkhand, Ranchi


Part-A

e-Tender for supply of Hand Operated Chaff Cutter in different districts of Jharkhand State
e-Tender No.-Dairy/01/2025-26

Online e-tenders are invited from sole Manufacturers/OEM/Authorized reseller/Partner for supply of 2720 unit Hand Operated Chaff Cutter on rate contract basis in different districts of Jharkhand State as per details given below:-

Important Events

Sl.	Name of Work	Descriptions
1	Estimated Cost for Supply of 2720 unit Hand Operated Chaff-Cutter	Estimated Cost ₹3,26,40,000.00
2	Earnest Money Deposit (EMD)	₹ 6,52,800.00 (Refundable)
3	Date of publication of Tender on Website	21.01.2026
4	Period of downloading of tender documents	Start Date 21.01.2026 at 04:00 PM End Date 05.02.2026 at 05:00 PM
5	Date of Pre-Bid Meeting	27.01.2026 at 02:00 PM
6	Online Bid Submission Period	Start Date 21.01.2026 at 04:00 PM End Date 05.02.2026 at 05:00 PM
7	Date of Technical bid opening	06.02.2026 at 02:00 PM
8	Date of Opening of Financial Bid	Will be declared later on
9	Name & Address of the Office inviting e-Tender (Procurement Officer)	Director, Dairy, Directorate of Dairy Development, Training & Extension Institute Campus, Sector-2, Dhurwa, Ranchi-834004, Jharkhand

***Units are Indicative**
 Detailed tender document can be downloaded and applied through website <http://www.jharkhandtenders.gov.in>
 Note: The above details may change due to unavoidable circumstances.
 Tender notification & Tender document can also be seen (only reading purpose) on the Departmental website <http://animalhusbandry.jharkhand.gov.in>

- After publication of the N.I.T., the desirous bidders may download tender documents along with terms & conditions from the Website. <https://www.jharkhandtenders.gov.in> and <https://www.jharkhand.gov.in> but submit only through NIC e-tender portal <https://www.jharkhandtenders.gov.in>
- Disclosure of rate other than financial bid will disqualify the bidder.
- Validity of the contract Period – The validity of the rate contract shall generally be one year and shall not exceed two years.
- EMD will be received through online mode only. Bidders can use internet banking facility for faster processing of EMD. Alternatively, bidders can use NEFT/RTGS challan generated for the tender from www.jharkhandtenders.gov.in portal.
- All uploaded documents should be legible/readable if not tender may be rejected. Unsigned uploaded documents will be rejected.
- The scheduled mentioned above is fixed; however, the undersigned reserves the right to change the date of activities in case of any exigencies through a notice in the government website <https://www.jharkhandtenders.gov.in> and <https://www.jharkhand.gov.in> & Notice Board at official address Director, Directorate of Dairy Development, Sector II, Dhurwa, Ranchi, PIN- 834004.

Sd/- Director, Dairy
 Directorate of Dairy Development
 Jharkhand Ranchi

 HINDUJA HOUSING FINANCE हिंदुजा हाउसिंग फ़ाइनंस लिमिटेड क्याप्ये कार्यालय : 167-169, इंदियन ग्लो, अन्ना सलाई, इंदियन ग्लो, ६०००15, चेन्नई, तमिल नाडु, भारत संपर्कस्थान - दिल्ली सिंह - मो. नं. 8510935857	
अनल संपत्ति के मौलिक कच्ची की सर्वजनिक सूचना	1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 31(4) के तहत अनुसूचित संपत्ति का कच्चा खतों के अनुसार प्रत्येक उधार देने वाले (लौ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। 2. कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ‘‘कर्मजदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिरवाई केडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभावों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्मजदार विफल रहने पर कर्मजदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता’’ सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अस्थायी नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।
संयोजित का विवरण (सुरक्षित संपत्ति)	1. निर्मित संयोजित संख्या डी-217, भूमि क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, खसरा संख्या 3041 / 684 में शामिल, उच्च आवादी ताल खोरा, गंगू तुषपकाबाद, बालीक्री मोहल्ला, नई दिल्ली-110044, जो निम्न प्रकार से परिचित: पूर्व- नरती / रास्ता, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: अन्य की संपत्ति DL/BDP/BDPR/AA00000804 & CO/CP/CP/OF/AA00001372 (नी अजरा अजरा) आंशिक मूल्य रु. 15,00,000/- (रु. पंद्रह लाख मात्र)
दिनांक : 20-01-2026 स्थान : नई दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फ़ाइनंस लिमिटेड

 HINDUJA HOUSING FINANCE हिंदुजा हाउसिंग फ़ाइनंस लिमिटेड क्यापे कार्यालय : 167-169, इंदियन ग्लो, अन्ना सलाई, इंदियन ग्लो, ६०००15, चेन्नई, तमिल नाडु, भारत संपर्कस्थान - दिल्ली सिंह - मो. नं. 8510935857	
प्राधिकृत अधिकारी: श्री आकाश मेडिराटा, संपर्क नंबर: 9625393424, ईमेल: akashkumar.mediratta@hindujahousingfinance.com	
निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना	वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत एचएचएफएल को प्रभारित चल और अचल संपत्तियों की बिक्री एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरकर्ता में सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूचित संपत्ति का कच्चा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति एचएचएफएल को उसके बकाया की वसूली हेतु ‘जहां है, जैसा है’ और ‘जो है, जैसा है’ के आधार पर सहमत शर्तों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है। निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं: 1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री ‘जहां है, जैसा है’ और ‘जो है, जैसा है’ के आधार पर होगी। 2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए HHFL के प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और शेष राशि उसके बाद 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा, जिसमें उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली राशि के 25% के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। 4. उपरोक्त खंड (2) के तहत अपेक्षित राशि का भुगतान तब करने पर आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि के 10% सक्षिप्त पहले से भुगतान की गई राशि जमा करर की जाएगी। 5. एचएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 6. संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे एचएचएफएल को ज्ञात हों या अज्ञात। अधिकृत अधिकारी/ सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों /अधिकारों /बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 7. क्रेता को अपनी संपुटि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी परबुओं पर सक्षिप्त परश्चम करना चाहिए। क्रेता को इस संधि में बाद में प्राधिकृत अधिकारी/ सुरक्षित ऋणदाता के विरुद्ध कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। 8. HHFL बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 9. एक से अधिक प्रस्ताव देने की स्थिति में, HHFL उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार होगा। 10. इच्छुक पक्ष आगे की जानकारी/ समझौते/ शर्तों/ शर्तों के लिए तथा अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में अपने स्वयं शिल्प, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क भुगत करने होंगे। 12. बिक्री सरफेसी अधिनियम /नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी। 13. बिक्री की तिथि 05.02.2026 होगी
संपत्ति का विवरण (सुरक्षित संपत्ति)	1. निर्मित संयोजित संख्या डी-217, भूमि क्षेत्रफल 250 वर्ग गज, खसरा संख्या 3041 / 684 में शामिल, उच्च आवादी ताल खोरा, गंगू तुषपकाबाद, बालीक्री मोहल्ला, नई दिल्ली-110044, जो निम्न प्रकार से परिचित: पूर्व- नरती / रास्ता, पश्चिम: अन्य की संपत्ति, उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: अन्य की संपत्ति DL/BDP/BDPR/AA00000804 & CO/CP/CP/OF/AA00001372 (नी अजरा अजरा) आंशिक मूल्य रु. 15,00,000/- (रु. पंद्रह लाख मात्र)
दिनांक : 20-01-2026 स्थान : दिल्ली	प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फ़ाइनंस लिमिटेड

 BAG बी.ए.जी. फिल्स एंड मीडिया लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1993PLCO51841	
पंजीकृत कार्यालय : 352, अमवाल प्लाजा, प्लॉट नंबर 8, कोंबली, पुर्वी दिल्ली, नई दिल्ली-110096	
क्यापे कार्यालय : एफसी-23, सेक्टर-16F, फिलिप, नोएडा-201301, (उ.प्र.)	
दुपला : +91 120 460 2424	
वेब : www.bagnetwork24.in, मेल : info@bagnetwork.in	
असाधारण आर बैक (ईजीएम) की सूचना ई-वी-टोटिंग व कट-ऑफ तिथि की तालिका(नी)	
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बी.एजी. फिल्स एंड मीडिया लिमिटेड (‘कंपनी’) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (‘ईजीएम’) बुधवार, 11 फरवरी, 2026 को अप. 4:00 बजे (आइएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (‘वीसी’), ऑनलाइन वीडुओ मीटिंग (‘ओवीएम’) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि ईजीएम बुलाने वाली सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर कार्रवाई की जा सके। ईजीएम कोऑरिटर का मंत्राव्य (एमसीए स्कूल्टर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सक्तुल संख्या 14 /2020 दिनांक 08 अप्रेल 2020, सक्तुल संख्या 17 /2020 दिनांक 13 अप्रेल 2020, सक्तुल संख्या 20 /2020 दिनांक 05 मई 2020, सक्तुल संख्या 02 /2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सक्तुल संख्या 21 /2021 दिनांक 14 फरवरी 2021, सक्तुल संख्या 02 /2022 दिनांक 05 मई 2022, सक्तुल संख्या 10 /2022 दिनांक 26 सितंबर 2022, सक्तुल संख्या 09 /2023 दिनांक 25 सितंबर 2023, सक्तुल संख्या 09 /2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 और नवीनतम सक्तुल संख्या 03 /2025 दिनांक 22 सितंबर 2025 और भारतीय प्रभुति और विनियम बोर्ड (‘सेबी स्कूल्टर’) द्वारा जारी सक्तुल संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सक्तुल संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सक्तुल संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/12 दिनांक 13 मई, 2022, सक्तुल संख्या SEBI/HO/CRD/PO-D-2/P/CIR/2023/64 दिनांक 05 जनवरी, 2023, सक्तुल संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PO-D-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 और नवीनतम सक्तुल संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PO-D-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुसार नम में आयोजित की जाएगी, जो एक सामान्य थ्यान पर सदस्यों की मौलिक उपस्थिति के बिना वीसी /ओवीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया और नोट्स निर्धारित करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रदीर्घकालीन आयव्यवहारी) विनियम, 2015 (‘सेबी विनियम विनियम’) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, अपने एमसीए स्कूल्टर और सेबी स्कूल्टर के साथ पठित, कंपनी के सदस्यों की ईजीएम वीसी /ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।	
वीसी /ओवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों (एक विधिवत अधिकृत निवास कोऑरिटर प्रतिनिधि सहित) को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोष की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 106 के अनुसार और एक एमसीए स्कूल्टर और सेबी स्कूल्टर के अनुपालन में, कंपनी के ईजीएम नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उपलब्ध, 19 जनवरी, 2026 को कंपनी के उन सदस्यों को भेजी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी अलीकृत असाइनमेंट्स लिमिटेड या संबंधित डिमांडिजटरी पॉर्टलसिस्टम के पास प्रोजेक्ट हैं। ईजीएम नोटिस की मौलिक प्रति भेजने की आवश्यकता को उपरोक्त एमसीए स्कूल्टर और सेबी स्कूल्टर के माध्यम से सामान्य कर दिया गया है।	
सदस्य ध्यान दें कि ईजीएम का नोटिफिकेशन की वेबसाइट https://bagnetwork24.in रटिक एक्सचेंज की वेसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और मेगारल रटिक एक्सचेंज और इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.secdia.com पर भी उपलब्ध है और ईजीएम का नोटिस मेगारल सिक्विरोटिज डिमांडिजटरी लिमिटेड (एलएसडीएम) (ई-नोटिंग) सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।	
सेबी रटिफिकेशन विनियमों के विनियमन 44, अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और समर-समान पर शोभाजित भारतीय कंपनी सचिव द्वारा जारी सामान्य दिशानिर्देश पर सक्षिप्त मानक के अनुसार, सदस्यों को एमसीएस्कूल्टर द्वारा प्रदान की गई ईजीएम नोटिस विनियम प्रणाली (ई-नोटिंग) का उपयोग करके ईजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पर अपना वोट जताने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के ईजीएम अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 04 फरवरी, 2026 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पट्टी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुसार हैं होगे।	
एमसीएस्कूल्टर के माध्यम से रिमोट ई-नोटिंग (ई-नोटिंग और वीसी /ओवीएम) के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया ईजीएम के नोटिस में प्रदान की है। सदस्यों से अपेक्षित है कि वे ईजीएम के नोटिस में वर्णित ई-नोटिंग /ईजीएम वीसी /ओवीएम के माध्यम से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : 1. ईजीएम के नोटिस में बताए गए व्यवसाय का संचालन एमसीस्कूल्टर के ई-नोटिंग प्लेटफॉर्म यानी www.evoting.nsdl.com के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, 2. रिमोट ई-नोटिंग सफिष्ट, 07 फरवरी, 2026 (बुधवार 9:00 बजे) और ईजीएम को शुक्र होगे और मंगलवार, 10 फरवरी, 2026 (शुक्रवार 9:00 बजे) एमसीएम को समाप्त होगी। 3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि (ईजीएम से पलट रिमोट ई-नोटिंग के साथ-साथ ईजीएम के अनुसार ई-नोटिंग) बुधवार, 04 फरवरी 2026 है। 4. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि के उपरोक्त दिनांक के रजिस्ट्रार या डिमांडिजटरी द्वारा बनाए गए लागूभागी मालिकों के रजिस्ट्रार में दर्ज है, जो व्यक्ति ईजीएम से वोट देने रिमोट ई-नोटिंग के साथ-साथ ईजीएम के दौरान ई-नोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का इच्छाकर होगा। कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम के नोटिस के ई-मेल के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 04 फरवरी, 2026 तक शेयर रखता है, तो www.evoting.nsdl.com पर एक अनुसूचित मेकअर पुरान एमसीएस्कूल्टर के साथ प्रोजेक्ट करे। तो वोट जताने के लिए मौजूद पुरान एमसी स्कूल्टर और पारदर्शक का उपयोग किया जा सकता है।	
5. सदस्य ध्यान दें कि : (a) ईजीएम के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एमएसबीएल द्वारा रिमोट ई-नोटिंग मॉड्यूल को अक्षर कर दिया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के उपरान्त रिमोट ई-नोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी; (b) एक बार सदस्यों को ईजीएम प्रस्ताव पर वोट जटा दिए जाने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; (c) ईजीएम में उन सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-नोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं जटा है। (d) निम्न सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-नोटिंग द्वारा प्रस्ताव पर अपना वोट जटा है, वे भी वीसी /ओवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन उन्हें उन प्रस्ताव पर फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।	
इस नोटिस में संदर्भित संबंधित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य info@bagnetwork.in पर अपना फोनियो नम /ओवीआईडी और कालाइट आइडी का उपयोग करने हुए एक ई-मेल भेज सकते हैं। निम्न सदस्यों(नी) ने कंपनी /आरटीए /डिमांडिजटरी के माध्यम से अपना ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, कृपया ईजीएम का नोटिस और ई-नोटिंग के लिए तालिका विवरण प्राप्त करने हेतु अपना ई-मेल पते पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।	
मौलिक वारिंता	कृपया info@bagnetwork.in या kyccdata@alankit.com पर ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण जैसे फोनियो नम, संपर्कता का नाम, पुरान प्रमाणपत्र की प्रति, पिन (एस-समायोजित) आधार (एस-समायोजित) उपलब्ध कराइए।
अपीकृत वारिंता	ओमेड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य सफाई डिमांडिजटरी पॉर्टलसिस्टम से संपर्क करके या info@bagnetwork.in पर ईमेल करके अपना ई-मेल आइडी पंजीकृत करना सकते हैं।

- मेसर्स बरिफा शर्मा एंड एसोसिएट्स, प्रोडिक्शन कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता प्रमाण पत्र) एमसीएसए 4816 और सीओसीओ नम 2222) को ईजीएम से पहले रिमोट ई-नोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ ईजीएम के दौरान ई-नोटिंग प्रक्रिया की निष्पत्ति और पारदर्शक तरीके से जांच करने के लिए निर्देशित मंडल द्वारा संचालित कर के रूप में नियुक्त किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग /ईजीएम से संबंधित कोई भी प्रश्न /चिंता/शिकायत, यदि कोई हो, कंपनी के पंजीकृत कोऑरिटर/कोऑरिटर कार्यालय में भी उपयुक्त किया, कंपनी सचिव- बी.ए.जी. फिल्स एंड मीडिया लिमिटेड को लिखकर या info@bagnetwork.in पर रमने के माध्यम से या दूरभाष -+91 120 460 2424 पर एक कॉल करके संचालित की जा सकती है।
- रिफर ई-नोटिंग (ईजीएम से पहले रिमोट ई-नोटिंग के दौरान) से संबंधित कोई प्रश्न /शिकायत होने पर, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अभ्यास में उपलब्ध श्रेयशायकों के लिए प्रायः पुत्रे जगजलेन प्रश्न (एडपुएर) और श्रेयशायकों के लिए ई-नोटिंग उपकरणगत पुस्तिका देख सकते हैं। या टोल-फ्री नंबर 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या यूपी पलवती भात्रे, सहायक उपाध्यक्ष, एमएसबीएल को evoting@nsdl.com पर एक अग्रोत्रे भेज सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते बी.ए.जी. फिल्स एंड मीडिया लिमिटेड हस्ता – अजय शर्मा	
दिनांक : 19-01-2026 स्थान : नोएडा	प्राधिकृत अधिकारी
अपीकृत वारिंता	ओमेड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य सफाई डिमांडिजटरी पॉर्टलसिस्टम से संपर्क करके या info@bagnetwork.in पर ईमेल करके अपना ई-मेल आइडी पंजीकृत करना सकते हैं।
मौलिक वारिंता	कृपया info@bagnetwork.in या kyccdata@alankit.com पर ईमेल द्वारा आवश्यक विवरण जैसे फोनियो नम, संपर्कता का नाम, पुरान प्रमाणपत्र की प्रति, पिन (एस-समायोजित) आधार (एस-समायोजित) उपलब्ध कराइए।
अपीकृत वारिंता	ओमेड मोड में शेयर रखने वाले सदस्य सफाई डिमांडिजटरी पॉर्टलसिस्टम से संपर्क करके या info@bagnetwork.in पर ईमेल करके अपना ई-मेल आइडी पंजीकृत करना सकते हैं।
निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते बी.ए.जी. फिल्स एंड मीडिया लिमिटेड हस्ता – अजय शर्मा	
दिनांक : 19-01-2026 स्थान : नोएडा	प्राधिकृत अधिकारी

 सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिस्कन्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिबरी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्मज खाता क्र. HLLADMT00354844	संपत्ति प्लॉट /मकान नंबर 15 के सभी भाग खंड ४३, भूमि का क्षेत्र 209 वर्ग मीटर है, ब्लॉक 'डी' में, पॉस्ट 07, सेक्टर –23-बी, दिनांक, नई दिल्ली-110075।	03.11.2025	रु. 2,33,38,260.60/- (रुपए दो करोड़ तैंतीस लाख अड़तीस हजार दो सौ साठ और सात पैसे मात्र) 07.01.2026 के अनुसार
2.	राम निवास			
3.	रंजीव महलोन प्रोपराइटर कृष्णा आटा बक्री			
4.	मंजू महलोन (गारंटर)			

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस बर्था में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लौ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लौ) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लौ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचप्रां भी जारी की गई है।

उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लौ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देस्ताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बدين से बचने अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पास होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ‘‘कर्मजदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिरवाई केडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभावों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्मजदार विफल रहने पर कर्मजदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता’’

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अस्थायी नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

 सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिस्कन्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिबरी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
				कृते सम्मान फिनसर्व लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्ल कमरिशियल क्रेडिट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी

 सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिस्कन्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिबरी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्मज खाता क्र. HHLHDE00271049	प्लॉट /मकान नंबर-742 के सभी भाग और खंड, क्षेत्र 250 वर्ग गज, अर्बन एस्टेट सेक्टर 29 में स्थित है, फरीदाबाद-121008, हरियाणा।	06.05.2025	रु. 23,06,353.27/- (रुपए दोईस लाख छह हजार तीन सौ तिरपेन और सत्ताईस पैसे मात्र) 30.12.2025 के अनुसार
2.	सीता देवी			
3.	अनीता सिंह			
4.	सती देवी			
5.	ए. के. सिंह			

 सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिस्कन्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिबरी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्मज खाता क्र. HLAFLPJ00412130	घर के सभी भाग और खंड जिसका भूमि क्षेत्र 200 वर्ग गज, 167-22 वर्ग मीटर है, जिसमें रसोई, बाथरूम और क्वर्ड क्षेत्र सहित चार कमरे हैं, जिसका क्षेत्र 53.51 वर्ग मीटर है, भूमि बेअरिंग खसरा नंबर 198 से 204 और 207 पर निर्मित है, आजाद बिहार कॉलोनी शेरपुर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।	03.11.2024	रु. 21,34,649.44/- (रुपए इक्कीस लाख बीतीस हजार छह सौ उन्चास और बीसालीस पैसे मात्र) 08.01.2026 के अनुसार
2.	कर्मज खाता क्र. HLAFLBRL00440084	1. बाग रास 2. विजय कुमार सिंह 3. विठ्ठु देवी 4. सती देवी सिंह (गारंटर)		

 सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिस्कन्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटररेट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना				
अनु. क्र.	कर्मजदाता (ओं) का नाम (ए)	गिबरी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्मज खाता क्र. HLAFLPJ00412130	घर के सभी भाग और खंड जिसका भूमि क्षेत्र 200 वर्ग गज, 167-22 वर्ग मीटर है, जिसमें रसोई, बाथरूम और क्वर्ड क्षेत्र सहित चार कमरे हैं, जिसका क्षेत्र 53.51 वर्ग मीटर है, भूमि बेअरिंग खसरा नंबर 198 से 204 और 207 पर निर्मित है, आजाद बिहार कॉलोनी शेरपुर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।	03.11.2024	रु. 21,34,649.44/- (रुपए इक्कीस लाख बीतीस हजार छह सौ उन्चास और बीसालीस पैसे मात्र) 08.01.2026 के अनुसार
2.	कर्मज खाता क्र. HLAFLBRL00440084	1. बाग रास 2. विजय कुमार सिंह 3. विठ्ठु देवी 4. सती देवी सिंह (गारंटर)		
3.	कर्मज खाता क्र. HHLMOR00503855	निजी प्लॉट/मकान नंबर-6, भूमि क्षेत्र 76.10 वर्ग मीटर है और कुल क्वर्ड क्षेत्र 102 वर्ग मीटर है, गाटा/खसरा नंबर-193 निग का भाग है, मोहल्ला निगम बिहार (राजस्व गंज मण्डीली) में स्थित है, तहसील और जिला मुरादाबाद, मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश।	03.06.2025	रु. 20,92,827.96/- (रुपए बीस लाख बीसहरे हजार आठ सौ सत्ताईस और छियानवे पैसे मात्र) 06.01.2026 के अनुसार
4.	कर्मज खाता क्र. HHLMOR00503855	1. यश डल 2. अनिता डल 3. लक्ष्य डल 4. संजय डल		

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस बर्था में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लौ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लौ) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लौ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचप्रां भी जारी की गई है।

उपयुक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लौ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के